न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 87/2015

जीतराम पुत्र श्री राजाराम गुंसाई निवासी चक 7 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ
2. चिड़ी देवी पत्नी सीवलां, बुधराम–मुखराम बाजिराराम पिसरान सीवलां अकवाम सांसी साकिन अर्जनोतपुरा (7जी.डी.एम.) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री राजवीर भादू

निर्णय

दिनांकः 07.08.2019

1. यह अपील बहुकम व आदेश उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर दिनांक 02.12.2014 प्रकरण संख्या 87/15 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमी घोषित करते हुए चक 7 जी.डी.एम. के पत्थर नं. 221/26 में 1 ता 25 कुल 6.325 है. रकबा में से 2.530 है0 रकबा पर 50 गुणा पेनल्टी व भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को फसल जब्त कर नीलाम करने हेतु व टी.आर.ए. को पैनल्टी राशि कायम करने हेतु व हल्का पटवारी को पैनल्टी राशि वसूल करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा वहक राज्य सरकार को देने हेतु आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी पी. 14 की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना नोटिस दिये, बिना सूने, इकतरफा कार्यवाही की गई है आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सूनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना हुई है। मातहत न्यायालय ने अपने ही कयासों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया कानून के विपरीत है। उक्त रकबा पर पिछले 30 वर्षों से अपीलांट के कब्जा काश्त चला आ रहा है। मातहत अदालत ने इसकी अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किये है जो निरस्ती योग्य है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 87/15 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर श्री राजवीर भादू उपस्थित आए।
3. दिनांक 09.07.2018 को चिड़िया पत्नी श्री सीवला, बुधराम–मुखराम बाजिराराम पिसरान सीवला अकवाम सांसी साकिन अर्जनोतपुरा (7जी.डी.एम.) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर की तरफ से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू ने उपस्थित होकर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन किया कि अपीलांट द्वारा श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा गया है उस संबंधं में रेस्पोडेंट अहम दस्तावेजात पेश करना चाहता है उक्त दस्तावेजात न्यायहित में आवश्यक है एवं सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। दौरने बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जैर प्रकरण रकबा पर अपीलांट का लगातार 40–45 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा एवं उक्त रकबे पर अप्रार्थी चिड़िया देवी वगैरहा का कतई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही अप्रार्थी को कभी भी टी.सी आवंटन हुआ तथ ना ही टी.सी नवीनीकरण हुआ है तथा अप्रार्थी की टी.सी भी खारिज हो चुकी है जो मौका पर रकबा आराजीराज दर्ज है। जैर प्रकरण रकबा की कब्जा नियम की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में जैरकार है।। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांटस ने धारा 22/91 की अपील की जो चलने योग्य नहीं है। उक्त जैरकार रकबा पर नाजायज काश्त की कार्यवाही मात्र कागजी है क्योकि अपीलांटस का जैरकार रकबा पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांटस अतिक्रमी है एवं उसके द्वारा अपील में कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हे मात्र कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त रकबा चिड़िया देवी वगैरा के टी.सी. आवंटन का रकबा हे जिसकी पत्रावली सक्षम न्यायालय में जैरकार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आये कि उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया जबकि अपीलांट का जैर रकबा भूमि पर गत 30 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को नाजायज काश्त का दोषी मानते हुए कार्यवाही की गई है एवं उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर द्वारा एक प्रिन्टेड प्रोफोर्मा में आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है। अतः उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए आदेश उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर दिनांक 02.12.2014 को निरस्त किया जाता है। इसी रकबा के पुख्ता आवंटन से संबंधित एक अपील अनवान बुधराम आदि बनाम राजस्थान सरकार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में जैरकार है। अतः इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner